REGISTERED No. D. 222

The Gazette of India

EXTRAORDINARY

PART I—Section 1

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 20] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 11, 1964/MAGHA 22, 1885

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम और रोजगार मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1963

संख्या WB .5(16)/63.—भारत सरकार ने अपने संकल्प संख्या **WB .5(1)/60** तारीख 25 अगस्त 1960 द्वारा जूट उद्योग के लिए एक केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड बनाया था, जिसका गठन और जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे :—

I गठन

अध्यक्ष

श्री एल० पी० दवे।

स्वतंत्र सदस्य

श्री घनश्यामलाल ओझा, संसद सदस्य ।

डा० परमानन्द प्रसाद।

मालिकों के प्रतिनिधि

श्री डी० सी० बी० पिलकिंगटन, ओ० बी० ई०।

श्री डी० पी० गोइन्का ।

कर्मचारियों के प्रतिनिधि

श्री काली मुखर्जी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त, संसद सदस्य ।

II विचारार्थ विषय

(क) उन कर्मचारियों (श्रमिक, क्लर्क, पर्यवेक्षक आदि) के वर्ग निश्चित करना जिन्हें प्रस्तावित मजदूरी-निर्धारण के प्रभावक्षेत्र में लाया जाना चाहिये।

(ख) उचित मजदूरी समिति की रिपोर्ट में निर्धारित उचित मजदूरी के सिद्धान्तों के आधार पर एक मजदूरी-विन्यास तैयार करना।

व्याख्या

मजदूरी-विन्यास तैयार करते समय, बोर्ड को उचित मजदूरी सम्बन्धी बातों के अलावा नीचे लिखी बातों पर भी ध्यान देना चाहियेः—

(i) विकासशील अर्थव्यवस्था में इस उद्योग की आवश्यकताएं;

(ii) निर्यात उद्योग के रूप में जूट उद्योग की विशेषताएं;

(iii) सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक तत्व;

(iv) मजदूरी-अन्तरों को ऐसे तरीके से निर्धारित करने की आवश्यकता जिससे कर्मचारियों को अपना कौशल बढ़ाने की प्रेरणा मिले:—

(ग) कार्य के अनुरूप अदायगी की पद्धति लागू करने की वांछनीयता।

व्याख्या

कार्य के अनुरूप अदायगी की पद्धति लागू करते समय बोर्ड न्यूनतम (गुजारे लायक) मजदूरी निर्धारित करने की और अतिश्रम तथा अवांछनीय अनुचित गति से काम करने से बचाने की आवश्यकता को ध्यान में रखेगा।

(घ) ऐसे सिद्धान्त निश्चित करना जिनके अनुसार जूट उद्योग के कर्मचारियों को बोनस (यदि दिया जा सकता हो) दिया जाए। बोर्ड से कहा गया था कि वह वेतन के अतिरिक्त अन्य अदायगियों के बारे में की जाने वाली मांगों पर विचार करे और जिस तारीख से उसने अपना काम शुरू किया है उसके दो महीने के अन्दर श्रमिकों की अन्तरिम सहायता सम्बन्धी मांगों के बारे में अपनी सिफारिशें भेज दें।

2. बोर्ड की अन्तरिम सहायता सम्बन्धी सिफारिशें 17 जनवरी 1961 को प्राप्त हुईं। भारत सरकार ने अपने संकल्प सं० WB-5(3)/61 तारीख 25 जनवरी 1961 के द्वारा ये सिफारिशें स्वीकार कर लीं और सम्बन्धित पक्षों से इन सिफारिशों को लागू करने की प्रार्थना की।

3. बोर्ड की अन्तिम रिपोर्ट सरकार के पास 4 सितम्बर 1963 को भेजी गई। सिफारिशों का सारांश इसी के साथ संलग्न है।

4. बोर्ड की रिपोर्ट पर भली भांति विचार करने के पश्चात् सरकार ने उसमें की गई सिफारिशों को स्वीकार करने और मालिकों, कर्मचारियों तथा राज्य सरकारों से उन्हें तुरन्त लागू करने की प्रार्थना करने का फैसला किया है।

5. सौंपे गए विषयों को निबटाने के लिए बोर्ड ने जो काम किया है और जिस प्रकार उसके सदस्य सभी बातों में एकमत होकर निष्कर्षों पर पहुंचे हैं—इसके लिए भारत सरकार उनकी प्रशंसा करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के असाधारण राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

पी० एम० मेनन,
सचिव, भारत सरकार

परिशिष्ट

सिफारिशों का सारांश

(1) बोर्ड की सिफारिशें मौजूदा सभी जूट मिलों पर लागू होंगी। इनमें कताई यूनिट और बाद में खुलने वाली मिलें भी शामिल हैं।

(2) बोर्ड की ये सिफारिशें औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 (एस) में दी गई परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले मिलों द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों पर लागू होंगी, बशर्ते कि इसके विपरीत कोई उल्लेख न हो। मिल क्षेत्र के बाहर स्थित मुख्य कार्यालय में काम करने वाले क्लर्कों (लिपिकों) और अन्य कर्मचारियों पर ये सिफारिशें लागू न होंगी।

(3) जूट मिल में मजदूरी का काम करने के लिए ठेके के श्रमिकों को न लगाया जाए। यदि कभी ठेके के श्रमिक लगाए भी जाएं तो उनकी मजदूरी अदा करने का जिम्मा प्रधान मालिक का होना चाहिए और उसी पर इस बात का भी जिम्मा होगा कि मजदूरों से सम्बन्धित सभी कानूनों का पूर्णतया पालन हो।

(4) रिपोर्ट के अध्याय दस में उल्लिखित "अर्ध कुशल हस्त कर्मियों के लिए अन्तर-संयंत्र शिक्षुता प्रशिक्षण योजना" में निर्धारित शर्तों के अनुसार बोर्ड की सिफारिशें जूट उद्योग के शिक्षुओं और नौसिखियों पर भी लागू होंगी।

(5) आधार वर्ष 1939 के श्रमिक-वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 100 मानते हुए कलकत्ते के सूचकांक 425 पर पश्चिमी बंगाल की जूट मिलों की कुल निम्नतम मजदूरी 81 रु० प्रतिमास होनी चाहिए। इसमें (1) मूल मजदूरी, (2) मजदूरी बोर्ड द्वारा की गई मजदूरी वृद्धि और (3) परिवर्ती महंगाई भत्ता शामिल माना जाय।

(6) पश्चिम बंगाल की जूट मिलों में इस समय आठ मूल मजदूरी समूह हैं जिनके स्थान पर अब केवल निम्नलिखित तीन समूह रहने चाहियें :—

(क) वर्तमान मूल मजदूरी समूह I से IV तक के अन्तर्गत आने वाले सभी कामगारों की मूल मजदूरियों अर्थात् रु० 34·67 न० पैं०, रु० 35·75 न० पैं०, रु० 36·84 न० पैं०, रु० 37·92 न० पैं० के स्थान पर एक समान मजदूरी रु० 40·17 न० पैं० प्रतिमास निश्चित कर दी जाय,

(ख) मूल मजदूरी समूह V से VII तक के अन्तर्गत आने वाले सभी कामगारों की मूल मजदूरियों अर्थात् रु० 39·00 न० पैं०, रु० 40·09 न० पैं०, रु० 41·17 न० पैं० के स्थान पर एक समान मजदूरी रु० 41·17 न० पैं० प्रतिमास कर दी जाय,

(ग) मूल मजदूरी समूह VIII के अन्तर्गत आने वाले कामगारों की मूल मजदूरी जो इस समय रु० 42·25 न० पैं० या अधिक है लगभग वही रहे, अर्थात् रु० 42·25 न० पैं० और उससे अधिक ।

(7) दोहरे (युग्म) करघा बुनकरों को दो करघों के उत्पादन पर निर्धारित मूल मजदूरी के वर्तमान 75 प्रतिशत के स्थान पर 80 प्रतिशत की दर से मजदूरी मिलनी चाहिये ।

(8) सभी वर्गों के कर्मचारियों को (लिपिक वर्ग को छोड़ कर, जिनके मामले में अलग से विचार किया गया है) मूल मजदूरी के अतिरिक्त रु० 8·33 न० पैं० प्रतिमास की वृद्धि मिलनी चाहिये, जिसमें रु० 3·42 न० पैं० प्रतिमास की अन्तरिम वृद्धि भी सम्मिलित है । सभी वर्गों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह वृद्धि एक अलग मद पर "मजदूरी बोर्ड द्वारा की गई वृद्धि"—के रूप में—दिखाई जायेगी । "मजदूरी बोर्ड द्वारा की गई वृद्धि को बोनस, भविष्य निर्वाह निधि आदि सभी प्रयोजनों के लिये मूल मजदूरी का ही अंश माना जाएगा" ।

(9) वर्तमान मंहगाई भत्ते रु० 32·50 न० पैं० को आधार वर्ष सन् 1939 के श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 100 मानते हुए कलकत्ते के सूचकांक 425 पर निर्धारित रु० 32·50 न० पैं० मंहगाई भत्ता मान लिया जाय । यह मंहगाई भत्ता परिवर्ती मंहगाई भत्ता होना चाहिए और यह कलकत्ते के औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रत्येक अंक की वृद्धि या कमी पर कलकत्ते के लिए 20 न० पैं० बढ़ाया या घटाया जाता रहे। जुलाई से दिसम्बर तक और जनवरी से जून तक की पिछली छमाहियों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मंहगाई भत्ते का हर छः महीने बाद फरवरी और अगस्त के महीनों में पुनरीक्षण किया जाना चाहिए ।

(10) 26 दिन का या 208 घंटे का महीना मानते हुए जूट मिल के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए मूल मजदूरियों की एक मानक सूची बनाई गई है जो रिपोर्ट के परिशिष्ट XI में दी हुई है । जूट मिल के किसी ऐसे काम की जिसका उल्लेख सूची में न हो, मजदूरी की दरें वही होंगी जो सूची में उल्लिखित उसी प्रकार के कामों के लिये निश्चित की गई हैं ।

(11) बोर्ड ने मजदूरी की अमानी या उजरती दरें निर्धारित करते समय एक सप्ताह 48 घंटे का माना है। यदि किसी कारण से सप्ताह के काम के घंटे सामान्य 48 घंटों से कम हों तो कर्मचारियों की मजदूरी का हिसाब निम्न प्रकार से लगाना चाहिए :—

(i) काम के घंटों की संख्या चाहे जो हो, मंहगाई भत्ता न घटाया जाय ।

(ii) यदि सप्ताह में काम के घंटे 45 से कम न हों तो मूल मजदूरी में भी कमी न की जाय ।

(iii) यदि काम के घंटे 45 से कम हों तो मूल मजदूरी 48 घंटे के सप्ताह के आधार पर निर्धारित की गई मजदूरी के अनुपात में कम कर दी जाय ।

खण्ड (ii) और (iii) में लिखी गई शर्तें केवल अमानी पर काम करने वाले कर्मचारियों पर ही लागू होनी चाहियें ।

(12) बोर्ड ने पश्चिम बंगाल की जूट मिलों की वर्तमान उजरती दरों के आधार की जांच अभी तक नहीं की है । चूंकि बोर्ड रिपोर्ट के पैरा 7·53 में उल्लिखित मजदूरी समूह 1 से 6 तक के व्यवसायों की जिन्हें उजरती दरों पर अदायगी की जाती है, मूल मजदूरी में बढ़ोतरी कर चुका है इसलिये इन व्यवसायों पर लागू यूनिट दरों में आवश्यक समंजन कर दिया गया है । ये नई उजरती दरें तथा अन्य अपरिवर्तित उजरती दरें रिपोर्ट के परिशिष्ट XII में दी गई हैं ।

(13) परिशिष्ट XI में उल्लिखित विभिन्न उजरती दरों वाले व्यवसायों की प्रस्थापित कमाई की रकम को 208 घंटे के महीने की गुजारे लायक मजदूरी मानना चाहिये बशर्ते कि कर्मचारी जान बूझ कर काम में ढिलाई का रवैया न अपनाएं ।

(14) नेलीमरला, चितवलसाह, श्री हरदत्तराय, रामेश्वर, कांटिहार, जे० के० और माहेश्वरी देवी जूट मिलों में काम करने वाले सभी वर्गों के कर्मचारियों (कैमियों और फुटकर कामगारों) की मूल मजदूरियां वही होनी चाहियें जिनका पश्चिम बंगाल की जूट मिलों के मामलों में रिपोर्ट के परिशिष्ट XI में उल्लेख है ।

(15) अरुण जूट शेप और ट्वाइन कम्पनी, हिन्दुस्तान जनरल प्रोड्यूस कम्पनी, महावीर जूट मिल और रायगढ़ जूट मिल के सभी वर्गों के कर्मचारियों (कैमियों और फुटकर कामगारों) की मूल मजदूरियां रिपोर्ट के परिशिष्ट XI में दी गई मानक मूल मजदूरियों के बराबर ही होनी चाहिए । लेकिन बोर्ड की सिफारिशें लागू होने की तारीख से आगे के 12 महीनों तक इन मिलों के सभी वर्गों के कर्मचारियों की मूल मजदूरियां मानक मजदूरियों से दस प्रतिशत कम होंगी । अगले बारह महीनों में इन मिलों के सभी वर्गों के कर्मचारियों की मूल मजदूरियां मानक मूल मजदूरियों से पांच प्रतिशत कम होंगी । इसके पश्चात् इन मिलों के सभी वर्गों के कर्मचारियों की मूल मजदूरियां वैसी ही होंगी जैसी कि इस उद्योग के संबंध में रिपोर्ट के परिशिष्ट XI में दी गई हैं ।

(16) श्री कृष्ण और श्री बजरंग जूट मिलों तथा गाजियाबाद जूट फैक्ट्री में काम करने वाले सभी वर्गों के कर्मचारियों (कैमियों और फुटकर कामगारों) की मूल मजदूरियां निम्नलिखित शर्तों के साथ मानक मूल मजदूरियों के बराबर होनी चाहियें:—

बोर्ड की सिफारिशें लागू होने की तारीख से आगे के 24 महीनों में—सभी वर्गों के कर्मचारियों की मूल मजदूरियां परिशिष्ट XI में दिखाई गई मानक मजदूरियों से 20 प्रतिशत कम होंगी ।

अगले 12 महीनों में—सभी वर्गों के कर्मचारियों की मूल मजदूरियां परिशिष्ट XI में दिखाई गई मानक मजदूरियों से 10 प्रतिशत कम होंगी ।

अगले 12 महीनों में—सभी वर्गों के कर्मचारियों की मूल मजदूरियां परिशिष्ट XI में दिखाई गई मानक मजदूरियों से 5 प्रतिशत कम होंगी ।

इसके पश्चात्—सभी वर्गों के कर्मचारियों की मूल मजदूरियां परिशिष्ट XI में दिखाई गई मानक मजदूरियों के ही बराबर होंगी।

(17) पश्चिम बंगाल के बाहर की जूट मिलों में सभी वर्गों के कर्मचारियों को (लिपिकवर्ग को छोड़कर) "मजदूरी बोर्ड द्वारा की गई वृद्धि" के रूप में रु० 8·33 न० पैं० मिलने चाहिए जिसमें रु 3·42 न० पैं० की अंतरिम सहायता भी सम्मिलित है ।

(18) श्री हरदत्तराय, रामेश्वर कटिहार और राधगढ़ की जूट मिलों के लिपिकवर्गीय अमले समेत सभी वर्गों के कर्मचारियों को उसी दर से मंहगाई भत्ता मिलना चाहिए जिसकी सिफारिश पश्चिम बंगाल की जूट मिलों के लिये की गई है । भविष्य में इन मिलों के मंहगाई भत्ते की घटा-बढ़ी भी कलकत्ते के श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर उसी प्रकार होनी चाहिये जिसकी पश्चिम बंगाल की जूट मिलों के लिये सिफारिश की गई है ।

(19) आधार-वर्ष 1935-36 के श्रमिकवर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 100 मानते हुए विशाखापत्तनम् के सन् 1962 के अंतिम 6 महीनों के औसत सूचकांक 479 पर नेलीमरला, और चित्तवलसाह जूट मिलें, अरुण जूट रोप ट्वाइन कम्पनी तथा हिन्दुस्तान जनरल प्रोड्यूस कम्पनी के लिपिकवर्गीय अमले सहित सभी वर्गों के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता रु० 36·63 न० पैं० निर्धारित किया जाना चाहिये । यह मंहगाई भत्ता परिवर्ती मंहगाई भत्ता होना चाहिये और यह विशाखापत्तनम् के औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रत्येक अंक की वृद्धि या कमी होने पर 20 न० पैं० की दर से बढ़ाया या घटाया जाता रहे। जुलाई से दिसम्बर तक और जनवरी से जून तक की पिछली छमाहियों के औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मंहगाई भत्ते का हर छः महीने बाद—फरवरी और अगस्त के महीनों में पुनरीक्षण किया जाना चाहिये ।

(20) एलूरू में आधार वर्ष 1935-36 के श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 100 मानते हुए 1962 के अन्तिम छः महीनों के औसत सूचकांक 560 पर श्रीकृष्ण और श्री बजरंग जूट मिलों में काम करने वाले सभी वर्गों के कामगारों तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के भत्ते की दर रु० 32·50 न० पैं० निश्चित की जानी चाहिये। महंगाई भत्ते की रकम परिवर्ती होनी चाहिये और एलूरू के औसत श्रमिक-वर्ग मूल्य सूचकांक में होने वाली प्रत्येक अंक की कमी या वेशी पर मंहगाई भत्ते की इस रकम में 20 न० पैं० की कमी या वेशी होनी चाहिए । जुलाई से दिसम्बर तक और जनवरी से जून तक की पिछली छमाहियों के औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर छः महीने बाद—फरवरी और अगस्त के महीनों में मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण होना चाहिये।

(21) कानपुर में आधार वर्ष सन् 1939 के श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 100 मानते हुए सन् 1962 के अंतिम छः महीनों के औसत सूचकांक 519 पर जे० के० माहेश्वरी देवी और महावीर जूट मिलों और गाजियाबाद जूट कारखाने में काम करने वाले सभी वर्गों के कामगारों तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के भत्ते की दर रु० 32·50 न० पैं० निश्चित की जानी चाहिए । मंहगाई भत्ते की रकम परिवर्ती होनी चाहिए और कानपुर के औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होने वाली प्रत्येक अंक की कमी या वेशी पर मंहगाई भत्ते की इस रकम में 20 न० पैं० की कमी या वेशी होनी चाहिये । जुलाई से दिसम्बर तक और जनवरी से जून तक की पिछली छमाहियों के औसत श्रमिकवर्ग उपभोक्ता

मूल्य सूचकांक के आधार पर हर छः महीने बाद फरवरी और अगस्त महीने में मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण होना चाहिए।

(22) श्री हरवत्तराय, रामेश्वर, कटिहार, रायगढ़, नेलीमरला और चित्तवलसाह जूट मिलों की उजरती दरें वही होनी चाहिएं जो पश्चिम बंगाल की जूट मिलों के लिए मानक हैं। किन्तु रायगढ़ जूट मिल में पश्चिम बंगाल जूट मिलों की मानक उजरती दरें रिपोर्ट के पैरा 7·65 में उल्लिखित योजना के अनुसार कई चरणों में लागू की जानी चाहिएं।

(23) जे० के० माहेश्वरी दंपी, महावीर, श्रीकृष्ण और श्री बजरंग जूट मिलों के मालिकों को चाहिएं कि वे वर्तमान अन्तरक को कायम रखते हुए विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की अमानी मजदूरी-दरें बोर्ड द्वारा निर्धारित नई न्यूनतम मजदूरी के आधार पर निश्चित करें। उजरती दर पर काम करने वाले कर्मचारियों की मजदूरी-दरें इस प्रकार समंजित की जायं कि न्यूनतम कमाई करने वाले कर्मी को उससे कम मजदूरी न मिले जिसकी सिफारिश वर्तमान कार्यभार और अन्य वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर बोर्ड ने की है। अन्य उजरती दरें वर्तमान अन्तरकों को यथावत् रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिएं। उजरतदरों और अमानी पर काम करने वाले दोनों कर्मियों को "मजदूरी बोर्ड द्वारा की गई वृद्धि" और महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। बोर्ड की मंशा है कि सभी कर्मचारियों के कुल वेतन में कम से कम रु० 4·91 न० पै० प्रतिमास की वृद्धि (अन्तरिम सहायता के अतिरिक्त) अवश्य होनी चाहिए। यदि मालिकों द्वारा परिशोधित मजदूरी दरों और या उजरती दरों के सम्बन्ध में मालिकों और कर्मचारियों के बीच कोई विवाद पैदा हो जाए तो उसे तय करने के लिये सम्बन्धित राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहियें।

(24) महावीर, श्रीकृष्ण और श्री बजरंग जूट मिलों में मानक उजरती दरें उसी प्रकार कई चरणों में लागू की जानी चाहियें जैसी कि अमानी दरों के सम्बन्ध में रिपोर्ट के पैरा 7·65 में उल्लिखित सिफारिश की गई हैं।

परिशिष्ट XI में विभिन्न उजरती कामों की /त्याशित कमाई की रकमें बताई गई हैं।

(25) श्री हरवत्तराय, रामेश्वर, कटिहार और रायगढ़ तथा नेलीमरला और चित्तवलसाह जूट मिलों के सम्बन्ध में ये ही रकमें 208 घंटे के महीने के लिए न्यूनतम (गुजारे लायक) मजदूरियां भी समझी जाएं बशर्ते कि कामगार आनबूझ कर काम में ढिलाई का रवैया न अपनाएं। जे० के० माहेश्वरी दंपी, महावीर, श्रीकृष्ण और श्री बजरंग जूट मिलों के सम्बन्ध में मालिकों को परिश्रम और कुशलता से काम करने वाले और औसत मानक उत्पादन देने वाले कर्मचारियों की प्रत्याशित कमाई की रकमों का हिसाब लगा लेना चाहिए और इन्हें ही 208 घंटे के महीने के लिये न्यूनतम (गुजारे लायक) मजदूरियां समझना चाहिए, बशर्ते कि कर्मचारी जान-बूझ कर काम में ढिलाई का रवैया न अपनाएं।

(26) पश्चिम बंगाल की जूट मिलों के मिस्त्रियों की परिशोधित मानक मूल्य मजदूरियां और श्रेणियां रिपोर्ट के परिशिष्ट XIII में दिए अनुसार होनी चाहियें।

(27) मिस्त्रियों की 'क' और 'ख' श्रेणियों का वेतनमान भी श्रेणी 'ग' के समान 6 वर्ष का होना चाहिए। 'क' श्रेणी का पहला साल 'ख' श्रेणी का छठा साल मानना चाहिये और 'क' श्रेणी में रु० 4·35 न० पै० की वार्षिक वृद्धि वाले दो वेतनमान और जोड़ देने चाहियें।

(28) स्थिर ग्रेड वाले मिस्त्रियों जैसे हेड मिस्त्री, मिल और सामान्य चार्ज हैंडों, नमूने बनाने वाले आदि को जो 'क', 'ख' और 'ग' श्रेणियों के अन्तर्गत नहीं आते रु० 4·91 न० पै० प्रतिमास की सामान्य वृद्धि के अतिरिक्त मूल मजदूरी में रु० 14·08 न० पै० प्रतिमास की वृद्धि और देनी चाहिए।

(29) 'क' और 'ख' श्रेणी के बीच जनर्लमैनों के लिये जो वर्तमान रिक्ति अवरोध हैं उसे हटा देना चाहिये ।

(30) "चीनी बढ़इयों" की वर्तमान मूल मजदूरियां पहले-जैसी ही रहनी चाहियें और उन्हें केवल रु० 4·91 न० पै० की सामान्य वृद्धि मिलनी चाहिये । यह रकम रु० 3·42 न० पै० की अन्तरिम सहायता के साथ मिल कर मजदूरी बोर्ड द्वारा की गई वृद्धि के रूप में रु० 8·33 न० पै० हो जायेगी । 'चीनी बढ़इयों' का पद समाप्त कर उसके स्थान पर प्रधान विशिष्ट और विशिष्ट बढ़ई रखने चाहियें । प्रधान विशिष्ट बढ़ई की मूल मजदूरी वही होनी चाहिये जो मिल हेड मिस्त्री को मिलती है और विशिष्ट बढ़ई की मूल मजदूरी उतनी होनी चाहिये जितनी चार्जहैंडों को दी जाती है

(31) तेल वाले खलासी, रस्सा जोड़ने वाले, पिन लगाने वाले (Pin Boys) बार पर काम करने वाले (Bar Boys), राख छानने वाले, माल उठाने वाले आदि कर्मचारियों की ऐसी श्रेणियां हैं जो आम तौर पर इंजीनियरी विभाग में दिखाई जाती हैं किन्तु इन्हें सामान्य कर्मी ही समझना चाहिये और इनकी मासिक मूल मजदूरियां प्रत्येक के सामने लिखे अनुसार होनी चाहियें ।

(32) कार चालकों, लारी चालकों और ट्रैक्टर चालकों को उसी 'ख' श्रेणी में रखना चाहिए जो कि पश्चिम बंगाल में जूट मिलों के मिस्त्रियों को लाभ् हैं और उन्हें प्रारंभिक वेतन के रूप में रु० 78·00 न० पै० प्रतिमास तथा उसी श्रेणी की वार्षिक-वृद्धि मिलनी चाहिए । जिन चालकों के लिए लारी चालकों के रूप में काम करना आवश्यक हो उन्हें रु० 15·00 न० पै० प्रतिमास के हिसाब से विशेष भत्ता देना चाहिए ।

(33) प्रत्येक श्रेणी की समाप्ति पर कुशलता-परीक्षा के पश्चात् जनर्लमैन श्रेणी के सभी मिस्त्रियों को 'ग' श्रेणी से 'ख' श्रेणी में, और 'ख' श्रेणी से 'क' श्रेणी में चढ़ा देना चाहिए । इस प्रकार की श्रेणी उन्नति के सम्बन्ध में कोई रिक्ति-अवरोध नहीं होना चाहिए ।

(34) सभी श्रेणियों के मिस्त्रियों की वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख अपरिवर्तनीय होनी चाहियें ।

(35) अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आने वाले मिस्त्री अप्रेंटिसों के अतिरिक्त अन्य मिस्त्री अप्रेंटिसों को वर्तमान दरों से गुजारा भत्ता देना चाहिए, इसके साथ साथ उन्हें मजदूरी बोर्ड द्वारा की गई वृद्धि के रूप में रु० 8·33 न० पै० प्रतिमास और देना चाहिए । इसमें अंतरिम सहायता के रु० 3·42 न० पै० भी सम्मिलित हैं । इनको मिलने वाले मंहगाई भत्ते की रकम पश्चिम बंगाल की जूट मिलों में काम करने वाले अन्य कामगारों के मंहगाई भत्ते की रकम के बराबर होनी चाहिए ।

(36) पश्चिम बंगाल की जूट मिलों के मिस्त्रियों के लिए बोर्ड द्वारा परिशोधित मानकित गृंड और वेतनमान, बोर्ड द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों के अधीन पश्चिम बंगाल के बाहर की जूट मिलों पर भी लागू होंगे ।

(37) पश्चिम बंगाल के बाहर की मिलों के मिस्त्रियों के यथासंभव वही नाम अपनाने चाहिएं जो पश्चिम बंगाल की जूट मिलों में हैं ।

(38) पश्चिम बंगाल की जूट मिलों के पहरा और निगरानी स्टाफ की परिशोधित मूल मजदूरियां निम्न प्रकार होनी चाहिएं :—

जमादार	रु० 75–34 न० पै०
हवलदार	रु० 60–34 न० पै०
दरबान	रु० 46–34 न० पै०

(39) नेल्लीमरला, चित्तवलसाह और जे० के० जूट मिलों को छोड़कर पश्चिम बंगाल के बाहर की सभी जूट मिलों में पहरा और निगरानी स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों की मजदूरी दरें, पश्चिम बंगाल की जूट मिलों में उसी श्रेणी के कर्मचारियों को मिलने वाली मानकित मजदूरी दरों के बराबर होनी चाहिएं। बोर्ड द्वारा निश्चित कुल मजदूरी के अतिरिक्त मिलने वाली रकम व्यक्तिक वेतन के रूप में दी जाती रहेगी लेकिन इस प्रकार के पहरा और निगरानी स्टाफ को मजदूरी बोर्ड द्वारा दी गई वृद्धि के रूप में रु० 8–33 न० पै० और दिये जायेंगे जिसमें अन्तरिम सहायता की रकम भी सम्मिलित होगी।

(40) नेल्लीमरला, चित्तवलसाह और जे० के० जूट मिलों को भविष्य में भर्ती होने वाले कर्मचारियों के संबंध में उन्हीं मजदूरी दरों का अनुसरण करना चाहिए जो पश्चिम बंगाल की जूट मिलों के पहरा और निगरानी स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों के लिये निर्धारित की गई हैं। किन्तु वर्तमान पदधारी का मूल वेतन मान वही होना चाहिए, जिसकी बोर्ड ने सिफारिश की है और वर्तमान कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के अनुसार इन्हीं श्रेणियों में बांट देना चाहिए। बोर्ड द्वारा निश्चित कुल मजदूरी के अतिरिक्त मिलने वाली रकम व्यक्तिक वेतन के रूप में दी जाती रहेगी और इन्हें मजदूरी बोर्ड द्वारा की गई वृद्धि के रूप में रु० 8–33 न० पै० भी मिलेंगे जिसमें अन्तरिम सहायता की रकम भी सम्मिलित होगी।

(41) महावीर, रायगढ़, श्रीकृष्ण और श्री बजरंग जूट मिलों और अरुण जूट रस्सा तथा ट्वाइन कम्पनी, हिन्दुस्तान जनरल प्रोड्यूस और गाजियाबाद जूट कारखाने के पहरा और निगरानी स्टाफ के लोगों का मूल वेतन रिपोर्ट के पैरा 7–65 में मूल मजदूरी के बारे में दी गई क्रमिक वृद्धि योजना द्वारा नियंत्रित होना चाहिए बशर्ते कि इसका पहरा और निगरानी स्टाफ के लोगों की वर्तमान उपलब्धि पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। इन लोगों को भी अन्तरिम सहायता समेत मजदूरी बोर्ड द्वारा की गई वृद्धि के रूप में रु० 8–33 न० पै० मिलने चाहिएं।

(42) पश्चिम बंगाल के जूट मिलों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के परिशोधित वेतन-मान मजदूरी बोर्ड द्वारा की गई रु० 8–33 न० पै० की वृद्धि को मिलाकर निम्न प्रकार होंगे :—

ग्रेड II	रु० 77—4—137
ग्रेड I	रु० 92—5—162—7½—207
एस० बी० ग्रेड	रु० 152—10—222
एस० ए० ग्रेड	रु० 222—10—322

(43) लिपिकवर्गीय कर्मचारियों को परिशिष्ट XV की सारिणी में दिखाई गई रीति से मूल वेतन के नये मानों में बांट देना चाहिये। ग्रेड I के वर्तमान पदधारी को, जो कुशलतारोध पार कर चुका हो, बोर्ड द्वारा निर्धारित विशेष शर्तों के अनुसार नये ग्रेड में रख देना चाहिए।

(44) विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लिपिकों के ग्रेडों का निर्णय बोर्ड द्वारा निर्धारित ढंग से होना चाहिए ।

(45) ग्रेड I में लिपिकों की नियुक्ति के लिये भर्ती का आधार ग्रेड II होना चाहिए किन्तु ग्रेड I में चढ़ाने के विचार से ग्रेड II में नियुक्त किये गये व्यक्तियों को 2 वर्ष से अधिक ग्रेड II में नहीं रखना चाहिए । ग्रेड II के लिपिक भी उच्च ग्रेड में पदोन्नति के पात्र समझे जाने चाहियें बशर्ते कि वे इस प्रकार की पदोन्नति के योग्य हों । उच्च ग्रेडों के रिक्त स्थानों की पूर्ति सामान्यतः निम्न ग्रेड के उपयुक्त लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा की जानी चाहिए और पदोन्नति की कसौटी वरीयता और कुशलता होनी चाहिए ।

(46) जब निम्न ग्रेड का लिपिक उच्च ग्रेड के पद पर 15 या अधिक दिनों तक स्थानापन्न रूप से काम करे तो उस अवधि में उसे उसके मूल वेतन के 5 प्रतिशत प्रतिमास के बराबर कार्यवाहक भत्ता मिलना चाहिए जो किसी भी दशा में 5 रु० से कम न हो ।

(47) लिपिकों के वार्षिक वेतन-वृद्धि की तारीख नहीं बदलनी चाहिए ।

(48) बोर्ड की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप लिपिकों को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए । उन मामलों में जहां बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों की अपेक्षा की सेवा सम्बन्धी वर्तमान शर्तें, कुल मिलाकर अच्छी हैं, वहां वे लोग अपने वर्तमान अधिकारों और विशेषाधिकारों का उपभोग करते रहेंगे ।

(49) पश्चिम बंगाल के बाहर की सभी जूट मिलों को लिपिकों के परिशोधित ग्रेडों तथा वेतनमानों का और पश्चिम बंगाल के बारे में बोर्ड द्वारा लिपिकों के श्रेणीकरण और पदोन्नति आदि के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों का अनुसरण करना चाहिए । पश्चिम बंगाल के बाहर की जूट मिलों के लिपिकवर्गीय कर्मचारियों को मजदूरी बोर्ड द्वारा की गई वृद्धि के रूप में रु० 8-38 न० पै० मासिक की रकम अलग से नहीं दी जायेगी किन्तु विभिन्न श्रेणियों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को उनके वर्तमान ग्रेडों के उपयुक्त नये ग्रेडों में रखते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि प्रत्येक लिपिक को बोर्ड की सिफारिशें लागू होने की तारीख से कम से कम 14 रुपये प्रतिमास की वृद्धि अवश्य मिले ।

(50) नेल्लीमरला और चितवलसाह जूट मिलों के मामलों में वर्तमान ग्रेडों को बोर्ड द्वारा निर्धारित ढंग से नये ग्रेडों में विलीन हुआ मान लिया जाना चाहिए ।

(51) महावीर, रायगढ़, श्रीकृष्ण और श्री बजरंग जूट मिलों, अरुण जूट रोप और ट्रेडिंग कम्पनी, हिन्दुस्तान जनरल प्रोड्यूस कम्पनी और गाजियाबाद जूट कारखाने के मामले में लिपिकों के नये वेतनमानों का प्रवर्तन रिपोर्ट के पैरा 7-65 में दी गई रीति के अनुसार ही कई चरणों में किया जायेगा लेकिन शर्त यह रहेगी कि प्रत्येक लिपिक को बोर्ड की सिफारिशें लागू होने की तारीख से कम से कम 14 रुपये प्रतिमास की वृद्धि अवश्य मिले ।

(52) देश की सभी जूट मिलों के लिये बोनस की एक मानकित योजना की सिफारिश की जाती है । लेकिन यदि किसी मिल में किसी वर्तमान पंचाट, करार, या प्रथा के कारण अधिक दर पर बोनस दिया जा रहा हो, तो वह पंचाट, करार या प्रथा लागू रहनी चाहिये और बोर्ड की सिफारिशों के अधीन बोनस न देकर उन्हीं के अधीन बोनस दिया जाना चाहिए ।

(53) सन् 1963 का बोनस 1962 में कर्मचारियों को मिलने वाली मूल मजदूरी के आधार पर देय होगा। पश्चिम बंगाल के बाहर की मिलों में चालू वर्ष के देय बोनस का हिसाब, 1962 में मिलों के प्रत्येक कर्मचारी को दी गई मूल मजदूरी और रिपोर्ट के परिशिष्ट X में निर्दिष्ट मजदूरी में से जो भी अधिक हो उसे आधार मानकर लगाया जायेगा। आगामी वर्षों में बोनस पिछले वर्ष दी गई मजदूरियों के आधार पर दिया जाएगा।

(54) जूट उद्योग में बोनस की अदायेगी पर नियन्त्रण रखने के लिये बोर्ड ने नियम निर्धारित कर दिये हैं।

(55) सभी मिलों में 1963 में दिये जाने वाले बोनस की अदायेगी 12 अक्तूबर 1963 के पहले कर दी जानी चाहिए।

(56) जूट उद्योग में स्थायी और अस्थायी कामगारों का अनुपात उस करार द्वारा नियंत्रित होगा जो बोर्ड में सम्मिलित मालिकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुआ है और जिसकी शर्तों के अनुसार बोर्ड ने सिफारिशें की हैं।

(57) पुरुष कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु 58 और महिला कर्मचारियों की 55 होनी चाहिए। यदि मालिक चाहें तो कर्मचारियों को इस आयु के बाद भी काम पर रख सकते हैं किन्तु इसका कर्मचारियों द्वारा उपदान का दावा करने के अधिकार पर कोई विपरीत प्रभाव न होगा।

(58) रिपोर्ट के परिशिष्ट XVII में दिए हुए काम के घंटे जानकारी के लिये हैं और वे केवल दृष्टान्त रूप में दिखाए गए हैं। उन्हें स्वतः पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए।

(59) बोर्ड ने जूट मिल के अर्धकुशल कर्मियों के लिये एक अन्तर संयन्त्र शिक्षु प्रशिक्षण योजना बनाई है जो परिशिष्ट XI में दी गई है।

(60) बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रात पारी भत्ता प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी उसकी सिफारिश है कि इस सम्बन्ध में यदि कोई ऐसी वर्तमान प्रथा प्रचलित हो जो कर्मचारियों के लिए लाभकर हो तो उसे चलने दिया जाए।

(61) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नई मजदूरी दरें 1 जुलाई 1963 से लागू होनी चाहिएं और इसकी सिफारिशें 31 दिसम्बर 1967 तक लागू रहेंगी।

(62) सरकार द्वारा सिफारिशें स्वीकृत और प्रकाशित हो जाने के पश्चात् मजदूरी की नई दरों से अदायेगी यथाशीघ्र आरम्भ कर देनी चाहिए और यह अदायेगी किसी भी दशा में 2 नवम्बर 1963 को समाप्त होने वाले सप्ताह की मजदूरी (आगामी सप्ताह में देय) अदा करने की तारीख के बाद न हो। पहली जुलाई से उस तारीख तक, जब नया मजदूरी विन्यास वास्तव में लागू किया जाय, नई और पुरानी मजदूरी के बीच के अन्तर की रकम 23 नवम्बर 1963 या उसके पूर्व अदा कर देनी चाहिए।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1964